प्रकरण सं 262 सन् 2017 प्रवीण आदि / बनाम परमजीत आदि
212 R.T. Act

प्रार्थीगण स्वयं एवं वकील प्रार्थीगण उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो चुका है प्रार्थना-पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे। अत: प्रार्थना-पत्र हस्ब रजामन्दी आगे नहीं चलाने से दिनांक 12/7/17 को जारी स्थगन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner